

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आर्दश ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 13.00किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम
तहसील-भनोली, जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कटौला तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.1863 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 6.1863 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11-09-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कलौटा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ग्राम पंचायत कलौटा
ग्राम सचिव (अल्मोड़ा)
दिनांक-11/09/2014

ग्राम प्रधान
ह0/ग्राम कलौटा
वि. ग्राम प्रधान (दिवा)
जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.1

दिनांक 11-09-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कलौटा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	वसन्त कुमार	Basant
2.	रमेश चन्द्र पाण्डेय	Ramesh
3.	प्रबन्धी दत्त पाण्डेय	Prabandhi
4.	शंकर दत्त	Shankar
5.	गिरीश चन्द्र पाण्डेय	Girish
6.	महेश चन्द्र पाण्डेय	Mahesh
7.	उषा दत्त	Usha
8.	सुन लाल	Sun Lal
9.	कैलाश चन्द्र	Kailash
10.	प्रकाश चन्द्र	Prakash

ग्राम प्रधान
ह0/-
वि. ग्राम प्रधान
जिला-अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आर्दश ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग (लम्बाई 13.00किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, जैती - भनोली

उपखण्ड जैती/भनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.1863 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 6.1863 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भनोली) की दिनांक 28/10/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार चन्पाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल कुमार चन्पाल, उपजिलाधिकारी, भनोली, अध्यक्ष
- 2- श्री अमरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3- श्री किशन सिंह जड़ौत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, धौलादेवी, सदस्य/सचिव
- 4- श्री दीवान राम उग्र बी0डी0सी0 क्षेत्र कलौटा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में मा.मु0घो0 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आर्दश ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 2.7320 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

म. चन्पाल
उप जिलाधिकारी
जैती/भनोली

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जैती/भनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में मा. मु0घो0 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आर्दश ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 6.1863 हे0 वन भूमि नि0ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

म. चन्पाल
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- जैती/भनोली
जनपद- जैती/भनोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

म. चन्पाल
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद-.....

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में मा.मु0घो0 के अन्तर्गत अड़चाली से खीना मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 5.00किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आर्दश ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 13.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 6.1863 हे0 वन भूमि नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जैती/भनोली..... तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उप जिलाधिकारी
जैती/भनोली

ह0/-

जिलाधिकारी

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा ग्राम को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 13.000 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में तहसील भनोली के अन्तर्गत अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा ग्राम को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 13.000 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 6.1863 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated. 29/09/2014.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 61863 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction Almora Ghat From K.M 50 To village kalauta (Under Aatul Adersh Yojan) Motor Road (13.00 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Kalauta, Thali, Kutoli, Nanoli, Kaneda, Khoudi, Ritha koat, Phadhu Village (s) in Bhanoli tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 61863 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above


जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा



Signature
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 61863 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above


जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


Signature
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date..... at time..... at Almora in which application claiming rights in Kalota area measuring 6.1863 hect for the construction of Almora Ghat motor road km 50 to Kalota motor road (13.00km) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Deputy Commissioner - Chairman
District Level Committee

Dated: 12.11.14

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **6.1863** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Motor Road to kalota form km. 50 of Almora-Ghat Motor Road (13.00 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Thali, Kulori, Nainoli, Kanera, Khaudi, Rithakot, Phabhau, kalota Village (s) in Someshwar tahsils** It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **6.1863** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Thali, Kulori, Nainoli, Kanera, Khaudi, Rithakot, Phabhau, kalota** villages (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Vinod Kumar Suman
District Collector, Almora

Cost Benefit Ratio Calculation Performa

कार्य का नाम-जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई- 13.00 किमी0।

Block:- Dhauladevi		District:- Almora	
Sl. No.	Particulars	Amount in lacs	50 years
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction Cost of the Project	172.62	
(B)	N.P.V. Amount to be deposited@ 9.39 lakh /Ha	58.09	
(D)	Substitute/Alternative Planlation Cost to be Deposited:-	14.10	
(E)	Other cost if any		
	Grand Total -	244.81	
2	Benefits:-	Estimated Cost/yearly	total benefit during the life of the created development
2.1	i Direct Economic Benefits		
	a. After Construction of this road, the villagers will be able to transport this locally harvested, crops, fruits & vegetables to the market near by, which will enable, the economic growth as stated below :- Pear:- @ 30.00 per Kg benefit per Year 2000*30.00=60000 Benefit for 50 years - 50*60000= Rs. 3000000 Peach:- @ 25.00 per Kg benefit per Year 2000*25.00=50000 Benefit for 50 years - 50*50000= Rs. 2500000 i Apricot:- @ 40.00 per Kg benefit per Year 1800*40.00=72000 Benefit for 50 years - 50*72000= Rs. 3600000 pulm:- @ 40.00 per Kg benefit per Year 1500*40.00=60000 Benefit for 50 years - 50*60000= Rs. 3000000 Vegetables:- @ 50.00 per Kg benefit per day 200*50.00=10000 benefit per Month 30*10000=300000 benefit per Year 12*300000=3600000 Benefit for 50 years - 50*3600000= Rs. 180000000	38.42	1921.00
	ii b. Direct employment of labour. Benefit of annual maintenance of the road taken 1 mate and 7 beldar for 1 month - 1 no. mate @ Rs. 200.00 per day * 30 day - Rs. 162000.00 benefit for 01 year = 162000.00*12= Rs. 1944000.00 Benefit for years = 1944000.00*50= Rs. 972000000.00	19.44	9720.00
	iii c. Employment generation due to other activities like transport taking 60 people will get job per month @ 6000.00 per month = Rs.360000.00. Benefit for 01 year Rs. 360000.00*12= 4320000.00. Benefit for 50 years Rs. 3600000*50= Rs. 216000000.00	43.20	2160.00
	Total direct benefits -	101.06	13801.00
2.2	ii. Social Benefits		
	a. health facilities	58.00	2900.00
	b. School facilities availability of school for	19.00	950.00
	c. Travel facilities availability of travelling for	7.50	375.00
	Total Social Benefits-	84.50	4225.00
2.3	iii. Ecological Benefits		
	a. Eco Tourism	10.00	500.00
	b. Artiogical Tourism	5.00	250.00
	Total Ecological Benefits-	15.00	750.00
2.4	Other Benefits (if any)		
	a. land value & revenue increase benefit	5.00	250.00
	b. Rehabilitation of villages & control if migrations	5.00	250.00
	Total Benefits-	10.00	500.00
	Grand total Benefits -	210.56	19276.00
Hence cost benefit ration (B/A) = 19826/172.62 = 111.00			

Note:- Therefor construction of above motor road is economically viable and socially beneficial.

Annexure-VI (B)

कार्य का नाम-जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई- 13.00 किमी0।

Parameter for Evaluation of loss of Forests :-

Sl. No.	Parameters	Roads, Tr. lines & Raliwayline
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived the livelihood and wage from the harvest of these commodities	6.1883 किमी0 लम्बाई में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से कालान्तर में भरपाई हो जायेगी।
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	5.5137 है0 नाप भूमि में चारे की क्षति नगण्य है।
3	Cost of human resettlement	कोई बस्ती विस्थापित नहीं हो रही है।
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	अवस्थापना सुविधा का स्थानान्तरण न होने से वन भूमि की आवश्यकता शून्य है।
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	भू-वैज्ञानिक की आस्था के अनुसार मूखलन क्षेत्र नहीं है।
6	Suffering to oustees	Nil

J.E.

सहायक निरीक्षक
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

J.E.

सहायक निरीक्षक
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

Annexure-VI (C)

कार्य का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई- 13.00 किमी0।

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests Nature of Proposal :-

Sl. No.	Parameters	Roads, Tr. lines & Raiwayline
1	2	3
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	मार्ग निर्माण से क्षेत्रीय जनता को रोजगार के साधन व अपने उत्पादनों को मण्डी पहुंचाने की सुविधा प्राप्त होगी।
2	Benefits to economy	मार्ग निर्माण से मार्ग के किनारे दुकाने खुलेंगी जिससे जनता को रोजगार मिलेगा।
3	No. of population benefited.	08 ग्रामों की 1985 जनसंख्या इस मोटर मार्ग के बनने से लाभान्वित होगी।
4	Employment potential.	मार्ग निर्माण से स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा।
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	नाप भूमि 5.5137 है0 सर्किल रेट- 436200/- है0 कुल रू0 2405076
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	कृषि भूमि का प्रतिफल भुगतान कृषकों को नियमानुसार दिया जायेगा। चारागाह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से दुग्ध व्यवसाय की भी क्षति नहीं होगी।
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	इस मार्ग के निर्माण से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। अतः मुआवजे की धनराशि शून्य है।
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	मार्ग निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को ईंधन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

J.P.
J.E.

सहायक वन सहायक
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

K.A.K.
अधिसारी जंचयन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र-15.4

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं०	क्षेत्र का नाम	व्यास वर्ग						योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—
2	सिविल सोयम	285	237	134	50	20	8	734
3	वन पंचायत योग	—	—	—	—	—	—	—
4	नाप भूमि	285	237	134	50	20	8	734
	कुल योग	40	25	23	18	7		113
		325	262	157	68	27	8	847

ह0/-
राजि अधिकारी
सहायक वन सहायक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

ह0/-
प्रभागीय कर्ताधिकारी
सहायक वन सहायक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0/-
प्रभागीय कर्ताधिकारी
सहायक वन सहायक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रारूप- 22

2016

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल 0 13.00 किमी 0)

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र सं०	भूमि की श्रेणी	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग					योग
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	
1	सिविल सोयम	बाँज	Quercus leucotrichophora	63	62	20	-	-	145
2	नाप भूमि	बाँज	Quercus leucotrichophora	4	4	6	-	-	14
	योग :- वन भूमि			67	66	26	-	-	159

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक

प्रारूप- 1

1.1

Attachment No. 1.1

TO WHOM IT MAY CONCERN

Letter No. 5445/2277 C

Dated 21/11/2014

Mr. Suresh Chandra Arya, Executive Engineer, Construction Division, Public Works Department, Almora is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of Construction Division, P.W.D., Almora.

(Signature)
Superintending Engineer,
1st Circle, P.W.D.,
Almora

कृपया न भ्रम पित

संरक्षक शासक
विभाग अण्ड, बा०/न०/०००
संरक्षक